[2021] 3 एस.सी.आर 255

नेताजी अच्युत शिंदे (पाटिल) और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 121/2019)

23 मार्च, 2021

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस. रवींद्र भाट, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: s.302 r/ws। 34 – अभियोजन का मामला यह था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, 17 बजेः 30 , अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित–मृतक पर हमला किया और तलवार से गंभीर रूप से घायल होने के साथ–साथ मुट्ठी से वार और लातें मारीं–17: 45 , पुलिस को घटना के बारे में टेलीफोन पर जानकारी मिली–लगभग 19: 15 , घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया

– पीडब्लू–1 की शिकायत के आधार पर 23 पर प्राथमिकी दर्ज की गईः 45 पुलिस थाने में शाम को अपीलकर्ताओं–अभियुक्त और एक फरार व्यक्ति की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए–निचली अदालत ने ए–2 को दोषी ठहराया–हालाँकि, ए–1 और ए–3 के खिलाफ सबूत संदिग्ध पाए गए और उन्हें बरी कर दिया–निचली अदालत ने 17.45 घंटों में प्राप्त जानकारी को पहली जानकारी के रूप में माना और बाद में रात में 23 बजे दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दियाः 45 — इसने अभियुक्तों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चश्मदीद गवाह पक्षपातपूर्ण थे और इसलिए अविश्वसनीय थे, फिर भी मुख्य रूप से चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर जो ए–1 और ए–3 की भूमिका में नकारात्मक के रूप में पढ़े जाते थे–निचली अदालत ने उन्हें लगाए गए आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि इन अभियुक्तों को दी गई चोटों के अभाव में दोषसिद्धि वारंट के लिए उनकी दोषीता का कोई निष्कर्ष वापस नहीं किया गया था–ए–2 के संबंध में, निचली अदालत ने उसे फरार अभियुक्त के साथ अपनी भागीदारी के कारण दोषी ठहराया, जिसके साथ वह मोटरसाइकिल पर चला गया था –

उच्च न्यायालय ने ए–1 और ए–3 को बरी करने के फैसले को उलट दिया और ए–2 की दोषसिद्धि की भी पुष्टि की–इसलिए तत्काल अपील–आयोजित की गईः सभी चश्मदीद गवाहों की सुसंगत गवाही यह थी कि अपीलकर्ता हमले का हिस्सा थे; उन्होंने मृतक पर हमला करने और उसका पीछा करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसने अंततः उसे पीडब्लू–5 की दुकान में भागने और वहां गिरने के लिए मजबूर कर दिया–साइट से बरामद सामग्री वस्तुओं के साथ–साथ पीडब्लू–5 की दुकान जिसमें खून के धब्बे शामिल थे, इन चश्मदीद गवाहों की कहानी का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है।

मृतक, उसका पीछा कर रहा था और अपराध स्थल को एक साथ छोड़ रहा था पहली सूचना पर ध्यान केंद्रित करने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया, इसे एफ. आई. आर. के

रूप में माना, और इसलिए, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह करने के लिए आगे बढ़े–चश्मदीद गवाहों की गवाही जो स्पष्ट रूप से उन्हें अपराध में फंसाती हैं, उनकी भागीदारी स्थापित करती हैं, और बयान जो दर्शाते हैं कि उन्होंने मृतक पर जानलेवा हमला करने के सामान्य इरादे को प्राप्त करने में एक भूमिका निभाई थी, निचली अदालत द्वारा तुच्छ और महत्वहीन कारणों से अनदेखी की गई थी–उच्च न्यायालय ने बरी होने के फैसले को सही ढंग से उलट दिया, और सभी अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की। एफ. आई. आर.: पूर्ण जानकारी के बिना या संज्ञेय अपराध के बारे में आंशिक जानकारी वाले एक गुप्त फोन कॉल को हमेशा एक प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है–एक मात्र संदेश या एक टेलीफोनिक संदेश जो स्पष्ट रूप से अपराध को निर्दिष्ट नहीं करता है। एफ. आई. आर. के रूप में नहीं माना जा सकता है–तत्काल मामले में, दो व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना केवल हमले के नंगे तथ्यों को निर्धारित करती है; जानकारी अधूरी थी; न तो पीड़ित का नाम और न ही कथित हमलावरों के नाम और न ही उस सटीक स्थान का उल्लेख किया गया था जहां घटना हुई थी–उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष की अपील में सही अनुमान लगाया कि 17.45 घंटे में दर्ज की गई पहली जानकारी को एफ. आई. आर. के रूप में नहीं माना जा सकता है–इन परिस्थितियों में, जो घटना हुई, हमले की प्रकृति, हमले का स्थान, अभियुक्तों के नाम और पहचान पूरी तरह से निर्धारित की गई थी जब पी. डब्ल्यू.–1 ने 23.45 घंटे में बयान दर्ज किया जो एफ. आई. आर. का गठन करता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

इस न्यायालय द्वारा टी. टी. एंटनी बनाम में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। केरल राज्य और दामोदर बनाम। राजस्थान राज्य। केवल एक संदेश या एक टेलीफोन संदेश जो स्पष्ट रूप से अपराध को निर्दिष्ट नहीं करता है, उसे एफ़. आई. आर. के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 21] [268–जी–एच]

टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181: [2001] 3 एस. सी. आर. 942; दामोदर बनाम.

एस. सी. सी. 336 [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 904; सुरजित सरकार

वी. पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 146 [2012] 13

एस. सी. आर. 634 पर भरोसा किया। –

2. 17.45 घंटे पर पुलिस डायरी में प्रविष्टि में कहा गया है कि दो व्यक्ति

टेलीफोन पर सूचित किया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और नगर परिषद परिसर के कोने में एक व्यक्ति पर हमला किया। यह सूचना अपने आप में अधूरी है। अंतिम प्रासंगिक प्रविष्टि 23.45 घंटे पर है, जो वह शिकायत है जो अंततः पीडब्लू–1 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में परिवर्तित हो गई। यह अभियुक्त और घटना के विवरण को सूचीबद्ध करता है। इसलिए, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना केवल हमले के नंगे तथ्यों को प्रस्तुत करती है; जानकारी अधूरी थी; न तो पीड़ित का नाम और न ही कथित हमलावरों के नाम और न ही उस सटीक स्थान का उल्लेख

किया गया था जहां घटना हुई थी। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष अपील में सही अनुमान लगाया कि 17.45 घंटे पर दर्ज की गई पहली जानकारी को प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में, जब पीडब्लू–1 ने 23.45 बजे बयान दर्ज किया तो घटना का विवरण, हमले की प्रकृति, हमले का स्थान, अभियुक्तों के नाम और पहचान पूरी तरह से निर्धारित की गई।

यह एफ. आई. आर. का गठन करता है। [पैरा 23, 24] [269–डी–एच; 270–ए–बी]

3. अभिलेखसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे पीडब्लू–2, पीडब्लू–3, पीडब्लू–4,

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडब्लू–6 और पीडब्लू–18 चश्मदीद गवाह थे। पी. डब्ल्यू.–2 (पी. डब्ल्यू.–1 से निकटता से संबंधित) और पी. डब्ल्यू.–4 के बयान पर विचारण न्यायालय द्वारा कुछ हद तक संदेह किया गया प्रतीत होता है। हालांकि, रिकॉर्ड के पूरे पढ़ने से क्या स्पष्ट है

निचली अदालत के फैसले को शामिल करते हुए यह कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीडब्लू–6, पीडब्लू–2 और पीडब्लू–18 ने वास्तव में पूरी घटना देखी थी। पीडब्लू–18 रविराज बीयर बार का मालिक था और फरार आरोपी द्वारा तलवार से किए गए हमले के बारे में स्पष्ट था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने मृतक पर मुट्ठी से हमला किया था। पीडब्लू–6 एक चाय की दुकान के सामने खड़ा था जब मृतक शिवाजी चौक से भागते हुए अंदर घुस गया। वह खून से लथपथ था और अपीलकर्ताओं और अनंत शिंदे ने उसका पीछा किया, जो जोर से चिल्ला रहे थे कि मृतक को पकड़कर मार दिया जाना चाहिए। पीडब्लू–6 ने दावा किया कि उसने और एक प्रदीप मेटे ने हस्तक्षेप किया और इस बीच मृतक "कोठावले ज्वैलर्स" में प्रवेश कर गया, जिसके बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल पर चले गए। पीडब्लू [2021] 3 एस. सी. आर. का बयान।

घटना से जुड़ा हुआ। उसने बयान दिया कि सुहास दुकान में प्रवेश कर रहा है और उसे बचाने के लिए कह रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुहास को गंभीर रूप से खून बह रहा था और कुछ लोगों ने उनकी दुकान को घेर लिया था और एक तलवार से लैस था। उन्होंने अपदस्थ किया कि फरार आरोपी ने मृतक को तलवार से भी मारा था और आगे यह कि उनका पीछा किया गया था। पीडब्लू–5 ने यह भी बयान दिया कि दो व्यक्ति मृतक को अस्पताल ले गए। [पैरा 29]

[272 – बी–सी]

5. इन चश्मदीद गवाहों की प्रतिपरीक्षा में, कुछ भी नहीं

अभियुक्त की ओर से महत्वपूर्ण बात सामने आई। पूछताछ की सामान्य रेखा यह प्रतीत होती है कि चश्मदीद गवाह ने नहीं किया था

पहचान की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचित किया

मृतक। यदि अभियुक्त के विवरण के संबंध में कोई छोटी विसंगतियां पाई जाती हैं, तो वे महत्वहीन हैं।

यह सामान्य इरादे का प्रमाण है, स्थिति से स्थिति में भिन्न हो सकता है और बहुत कुछ प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका। [पैरा 30,31] [272–डी–जी; 273–ए–बी]

रामास्वामी अव्यंगार बनाम। तमिलनाडु राज्य (1976) 3 एस. सी. सी. 779 [1976] 3 एस. सी. आर. 876; नंदू रस्तोगी बनाम।

बिहार (2002) 8 एस. सी. सी. 9: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 30; सुबेद अली और अन्य बनाम। असम राज्य 2020 (10) एस. सी. सी. 517–पर निर्भर था।

अपराध और उनकी भूमिका के बारे में स्वतंत्र गवाहों का बयान, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यह सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से था अपराध, जिसका आयोग संयुक्त आपराधिक उद्यम का उद्देश्य था। इन अभियुक्तों की उपस्थिति, सामान्य डिजाइन के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए वास्तविक है

आपराधिक अधिनियम में भागीदारी। साक्ष्य–अर्थात् इन अभियुक्तों द्वारा प्रोत्साहन, मृतक पर हमला करने, उसका पीछा करने और अपराध स्थल को एक साथ छोड़ने में उनकी सक्रिय भूमिका, यह दर्शाती है कि एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन में आम सहमति थी। यह वह पहलू था जिसे निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया, और इसके बजाय, पहली सूचना पर ध्यान केंद्रित करने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया, इसे प्राथमिकी के रूप में माना, और इसलिए, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह करने के लिए आगे बढ़े। इसमें चश्मदीद गवाहों की गवाही में कोई कमी नहीं पाई गई। हालाँकि, इस थीसिस पर आगे बढ़ते हुए कि पहली सूचना एफ़. आई. आर. थी, और यह कि इसमें चार व्यक्तियों की भूमिका का वर्णन नहीं किया गया था, बल्कि केवल दो का उल्लेख किया गया था, निचली अदालत ने दो अभियुक्तों को बरी कर दिया। [पैरा 34] [274–एफ–एच; 275–ए–बी]

संवत सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [1961] 3 एससीआर 120

– पर भरोसा किया।

7. उच्च न्यायालय ने दो अपीलार्थियों को बरी करने के फैसले को उलट दिया जो अब इस अदालत के समक्ष हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें अपराध में फंसाया, उनकी भागीदारी को स्थापित किया, और बयान जो दर्शाते थे कि उन्होंने मृतक पर जानलेवा हमला करने के सामान्य इरादे को प्राप्त करने में एक भूमिका निभाई थी, निचली अदालत द्वारा तुच्छ और महत्वहीन कारणों से अनदेखी की गई थी। द. साक्ष्य और अभिलेख से प्रकट होने वाली सभी परिस्थितियों की सराहना स्पष्ट रूप से अनुचित और तर्कहीन थी। उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को बिल्कुल सही तरीके से उलट दिया और सभी अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की। [पैरा 38] [277–बी–डी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

प्रदीप पुत्र नारायणराव राजगुरे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 2004 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1308; नीलेश नाइक

@ मंगुशेखर बनाम. गोवा राज्य 2010 (3) बम सी. आर.

(सी. आर. आई) 201–संदर्भित।

	मामला कानून संदर्भ	
[2001] 3 एससीआर 942	पैरा 21	पर भरोसा करें
[2003] 3 पूरक। एससीआर 904	पैरा 21	पर भरोसा करें
[2012] 13 एससीआर 634	पैरा 22	पर भरोसा करें
[1976] 3 एससीआर 876	पैरा 31	पर भरोसा करें
[2002] 3 पूरक। एससीआर 30	पैरा 32	पर भरोसा करें
2020 (10) एस. सी. सी. 517	पैरा 33	पर भरोसा करें
[1961] 3 एससीआर 120	पैरा 35	पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 121/2019

उच्च न्यायालय के 16.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की आपराधिक अपील सं. 46 में बॉम्बे की न्यायपालिका, औरंगाबाद की न्यायपीठ।

2021 की आपराधिक अपील संख्या 328। एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनीश आर. शाह, सुश्री कुर्रतुलैन, मेसर्स।

एस. एम. जाधव एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, जियो जोसेफ, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. अपीलार्थी, इन दो अपीलों में, एक आम आरोप लगाते हैं –

बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया। एक अपीलार्थी (उन सभी को बाद में नाम से संदर्भित किया गया), दूसरा अभियुक्त समाधान शिंदे था

ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य दो को बरी कर दिया गया। इन दोषमुक्तियों को विवादित फैसले द्वारा उलट दिया गया था जिसमें सभी अभियुक्तों (पहले आरोपी नेताजी अच्युत शिंदे (पाटिल), दूसरे आरोपी नेताजी अच्युत शिंदे (पाटिल) और ए. एन. आर. को दोषी ठहराया गया था।

समाधान शिंदे, और तीसरे आरोपी बालासाहेब कल्याणराव शिंदे (पाटिल), [इसके बाद ए–1, ए–2 और ए–3 या उनके नामों से नेताजी, समाधान और बालासाहेब के रूप में संदर्भित]।

2. कल्लम पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर. 80/2011) दर्ज की गई थी, जिसमें निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, अर्थात मृतक सुहास पर जानलेवा हमला। चश्मदीद गवाहों के बयानों के साथ–साथ मृतक सुहास द्वारा मृत्यु की घोषणा पर आरोप पत्र में भरोसा किया गया था जो बाद में दायर किया गया था, जिसमें आरोपी को शामिल किया गया था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद 1 ने उनके खिलाफ आरोप तय किए।

उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए अभियुक्त। सभी अभियुक्तों ने निर्दोष होने का दावा किया और मुकदमे का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में 21 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्तों का बचाव इनकार था, और यह कि उन्हें राजनीतिक शत्रुता और संपत्ति विवाद के कारण झूठा फंसाया गया था। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार करने पर निचली अदालत ने ए–2 समाधान को दोषी ठहराया; हालाँकि, उसने ए–1 नेताजी शिंदे और ए–3 बालासाहेब शिंदे के खिलाफ साक्ष्य को संदिग्ध पाया और उन्हें बरी कर दिया।

3. उच्च न्यायालय ने राज्य को अपील करने की अनुमति दे दी; ए–2 समाधान ने भी अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले से अल और ए 3 को बरी करने के फैसले को उलट दिया।

और ए–2 समाधन के विश्वास की पुष्टि की। इसलिए तीनों अपील में हैं।

अदालतों द्वारा विचार किए गए आवश्यक तथ्य और साक्ष्य

4. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आईडी1 पर शिवाजी चौक पर शाम करीब साढ़े पांच बजे जिले के कल्लम में एक रविराज बीयर बार के सामने

उस्मानाबाद, सभी अभियुक्त अपीलार्थियों ने अपने समान इरादे से मृतक, सुहास पर हमला किया और तलवार के साथ–साथ मुट्ठी से वार और लात मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगभग 7.15 बजे, सुहास ने अंबाजोगाई के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीडब्लू. 1 रामहरि शिंदे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, कल्लम पुलिस स्टेशन में 11.45 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ़. आई. आर. में चार व्यक्तियों–यानी तीन अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्तियों और एक अनंत बालासाहेब शिंदे की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। हालाँकि उस पर आरोप नहीं लगाया जा सका और मुकदमा नहीं चलाया जा सका, क्योंकि वह फरार था। रामहरि गणपतराव शिंदे के दोपहर 11.45 बजे दर्ज की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

1 1 इसके बाद "विचारण न्यायालय"।

कल्लम के कोठाला गाँव के निवासी ने कहा कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिकायतकर्ता, पीडब्लू–1 रामहरि शिंदे के भाई, प्रकाश के दो बेटे थे; (मृतक सुहास और एक विकास)। रामहरि शिंदे तालुका थे।

कल्लम के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कल्लम तालुका बाजार समिति के अध्यक्ष और उनके गाँव के सरपंच; मृतक युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका उपाध्यक्ष थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कल्लम में शिवाजी की प्रतिमा के पास एक पुलिस चौकी थी। उन्हें घटना की जानकारी पीडब्लू–2, बालासाहेब ने दी। क्षीरसागर। पीडब्लू–2 ने अपदस्थ कर दिया कि वह पद्मसिंह पाटिल परिसर के सामने था, जो शिवाजी चौक में है। जब मृतक रविराज बीयर बार के सामने अपनी मोटरसाइकिल से उतर रहा था, तो आरोपी और फरार आरोपी हाथ में तलवार लेकर मोटरसाइकिल पर वहाँ गए। उसने मृतक के चेहरे, गर्दन और हाथ पर तलवार से वार किया और अन्य अभियुक्त ने मृतक को मुट्ठी से वार और लात मारी। पीडब्लू–2 ने बताया कि मृतक नीचे गिर गया। जब वह उस स्थान पर पहुँचने के लिए सड़क पार कर रहा था जहाँ सुहास था, तो उसने अभियुक्तों को यह कहते हुए सुना कि वे सुहास को मार देंगे। सुहास उठा और सोनार गली की ओर भागा। रास्ते में, फरार आरोपी अनंत ने राहगीरों को हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी, नहीं तो वह उन्हें चाकू मार देगा। कोठावले ज्वैलर्स में प्रवेश करते ही सभी अभियुक्तों ने मृतक सुहास का पीछा किया। पीडब्लू–2 ने कहा कि सतीश टेकले और प्रदीप मेटे मौजूद थे और जब उन्होंने आरोपी से पूछा कि वे क्या थे

ऐसा करते हुए, एक आरोपी ने मोटरसाइकिल लाने के लिए कहा। इस पर, उनमें से एक मोटरसाइकिल (No.MH–25/W–1744) लाया जिसमें था

सामने अनंत चोंडे की तस्वीर)। चारों आरोपी उस पर छोड़ दिए गए।

मोटरसाइकिल। पीडब्लू–2 ने तब पीडब्लू–1 रामहरि शिंदे को फोन किया और घटना के बारे में सूचित किया; इसके बाद वह कोठावले ज्वैलर्स गए, जहाँ सुहास घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। प्रदीप मेटे और सतीश टेकले मृतक को सरकारी अस्पताल ले गए; डॉक्टर ने उन्हें आगे के इलाज के लिए घायलों को अंबाजोगाई ले जाने के लिए कहा। तदनुसार, रामहरि, विकास बरकुल, प्रशांत लोमाटे और सतीश टेकले सुहास को एम्बुलेंस में ले गए। लगभग 7:45 बजे, पीडब्लू–2 को मृतक की मृत्यु के बारे में पता चला। जिरह के दौरान, पीडब्लू–2 ने स्वीकार किया कि रामहरी (पीडब्लू–1) उसके मामा थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित नहीं किया, हालांकि पुलिस स्टेशन पास में ही था। उन्होंने आगे कहा कि 50–100 लोग घटना स्थल पर जमा हो गए थे। पीडब्लू–3 बालकृष्ण गंगाधर भावर ने भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया

कल्लम जिले के लिए और यह कि उसने घटना को देखने के बावजूद पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी। इसी तरह, पीडब्लू–4 ने पीडब्लू–2 और पीडब्लू–3 की गवाही की पुष्टि की।

5. अभियोजन पक्ष ने घटना के चश्मदीद गवाहों के रूप में पी. डब्ल्यू. 2 बालासाहेब क्षीरसागर, पी. डब्ल्यू. 3 बालकृष्ण भावर, पी. डब्ल्यू. 4 शिवराज रितापुरे और रवींद्र मोहनलाल ओझा की गवाही पर भरोसा किया। अन्य मुख्य प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर पीडब्लू–12 थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का संचालन किया। पीडब्लू–19 और पीडब्लू–20 पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने मुकदमे के दौरान गवाही

दी। उनके बयानों के अलावा, अभियुक्तों द्वारा पहने गए रक्त-दाग वाले कपड़े, और भौतिक वस्तुएँ जैसे हथियार, रक्त-दाग वाली मिट्टी, आदि प्रदर्शित किए गए थे।

6. ट्रायल कोर्ट ने 17 साल की उम्र में प्राप्त पहली जानकारी का इलाज कियाः 45 पहली जानकारी के रूप में 05.07.2011 पर घंटे, और प्राथमिकी को खारिज कर दिया

बाद में रात के दौरान, 11 बजे रिकॉर्ड किया गयाः 30 पीएम। इसने अभियुक्त के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सभी चश्मदीद गवाह पक्षपातपूर्ण थे और इसलिए, अविश्वसनीय थे। फिर भी, मुख्य रूप से चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित, जिसे यह पढ़ा जाता है

अभियुक्त नेताजी (ए-1) और बालासाहेब (ए-3) की किसी भी भूमिका को नकारते हुए निचली अदालत ने उन्हें लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। इसने आगे कहा कि

7. नेताजी और बालासाहेब को दोषमुक्त ठहराते हुए निचली अदालत के निष्कर्षों के खिलाफ समाधान और राज्य (जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की अनुमति दी गई थी) द्वारा एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय में, बरी किए जाने के इन निष्कर्षों को उलट दिया गया था; अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समग्र सराहना पर उन्हें आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निचली अदालत ने बयानों की पूरी तरह से अनदेखी की प्रत्यक्षदर्शी और उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि उनके बयानों को क्यों दरकिनार किया जाना था, और यह कि यह चिकित्सा साक्ष्य को समग्र रूप से प्रमुखता देने में गलती थी। चश्मदीद गवाहों की गवाही, जिनमें से कुछ का मृतक से कोई संबंध नहीं था, के साथ-साथ जांच के दौरान आरोपी के बयानों के अनुसार की गई बरामदगी को नजरअंदाज कर दिया गया था। कुल मिलाकर

अतः साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण, ए-1 और ए-3 को दोषी ठहराया गया; ए-2 समाधान की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।

अभियुक्तों/अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का संस्करण, जो यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 बजे दर्ज की गई थीः 30 पीएम, झूठ है। श्री एस. विद्वान वरिष्ठ वकील नागमुथु ने निचली अदालत के निष्कर्षों पर भरोसा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि अपराध के बारे में पहली सूचना ही पूरी हो गई थी और पुलिस स्टेशन को शाम 5:30 बजे प्राप्त हुई थी। उन्होंने इस अदालत का ध्यान पूर्व की ओर आकर्षित किया। पी. 82, जो केस डायरी का उद्धरण है, जिसने प्रविष्टि 392 में घटना को दर्ज किया। विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बार पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में पता था एक गंभीर घटना की स्थिति में, उन्हें तुरंत एक प्राथमिकी दर्ज करनी थी।

9. वकील ने पीडब्लू 19 और पीडब्लू 20 की गवाही पर आपत्ति जताई,

जिन्होंने बयान दिया था कि वास्तव में 11 बजे बाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थीः 30 प्रधानमंत्री, अपराध की सूचना (05:30 पीएम) और प्राथमिकी दर्ज करने के बीच का समय आरोपी के ठिकाने का पता लगाने में बिताया गया था और

दो व्यक्तियों द्वारा चलाया गया। हालाँकि, जब वास्तव में एफ़. आई. आर. दर्ज की गई, तो यह संस्करण गायब हो गया और एक सुधार दर्ज किया गया, जिसमें अन्य अभियुक्त शामिल थे ताकि उन्हें फंसाया जा सके। इसके अलावा, विद्वान वकील ने कहा कि प्रारंभिक सूचना और वास्तविक एफ. आई. आर. की रिकॉर्डिंग के बीच का समय एक धागा कताई में बिताया गया था, और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण गवाहों से समर्थन मांगा गया था जो वास्तव में थे।

घटना के गवाह नहीं थे, और किसी तरह से मृतक या उसके परिवार से जुड़े थे।

10. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत के निष्कर्ष

पहली सूचना के संबंध में ही एक एफ. आई. आर. होना कानून में सही है। उन्होंने प्रदीप पुत्र नारायणराव राजगुरे बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य 3 और नीलेश नाइक @मंगुशेखर बनाम। की स्थिति

गोवा उनके इस तर्क के समर्थन में कि यह अपराध की पहली सूचना है

2 प्रविष्टि 39, पूर्व का भाग। 82 , यह इस प्रकार हैः " रवि हरकर और विश्वजीत थोम्ब्रे आर/ओ। कल्लम ने टेलीफोन पर बताया कि मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने नगर निगम के कोने में एक व्यक्ति पर हमला किया

उसकी जान बचाने के लिए खरीदारी करें। वह बेहोश है और घायल है। इसलिए, तुरंत पुलिस को भेजें, इसलिए पुलिस स्टेशन में संचार के संबंध में प्रवेश लिया जाता है। 3 2004 ऑल एम. आर. (सी. आर. आई.) 1308 बाद में दर्ज की गई "आधिकारिक" या औपचारिक एफ. आई. आर. संदिग्ध है क्योंकि यह पुलिस को कल्पनाएँ बनाने और निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए काफी छूट प्रदान करती है। 11. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि गवाहों की मौखिक गवाही को अस्वीकार करने या खारिज करने और गवाहों को प्रधानता देने में निचली अदालत का दृष्टिकोण

वस्तुनिष्ठ चिकित्सा साक्ष्य, जो चोटों की प्रकृति की ओर इशारा करते हैं, सही थे। इस पहलू पर विस्तार से बताते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि कई गवाह

मृतक के परिवार के सदस्यों और अभियुक्तों के बीच। मृतक वास्तव में कोठाला गाँव में रहता था। अन्य गवाह पक्षपातपूर्ण थे क्योंकि वे यह नहीं बता सके कि वे अपराध स्थल पर क्यों मौजूद थे। इस पहलू पर जोर देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि हालांकि इन पक्षपाती गवाहों पर आरोप है कि उन्होंने अपराध को देखा है, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहां यह प्रस्तुत किया गया था कि पुलिस स्टेशन मुश्किल से सौ मीटर दूर था और यहां तक कि पीडब्लू 19 की गवाही के अनुसार, 5 मिनट की पैदल दूरी से भी पहुँचा जा सकता था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, लगभग सौ लोग उपस्थित थे और उन्होंने इस घटना को देखा था। इसके बावजूद, अभियोजन पक्ष उन गवाहों का पता लगाने में सफल रहा जो स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण थे और जिनका आरोपी को फंसाने का अपना उद्देश्य था।

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक कथित चश्मदीद गवाह, जैसे पीडब्लू–1, पीडब्लू–2, पीडब्लू–3, पीडब्लू–4 और पीडब्लू–6 इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि वे क्यों उपस्थित थे। पीडब्लू–3 की ओर इशारा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि

एक कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते, गवाह घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति का दावा नहीं कर सका, भले ही वह कुछ दूरी पर रहता था। इसी तरह, पीडब्लू–4 एक पूरी तरह से अलग गाँव में रहता था और उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह घटना के उसी क्षण घटना स्थल पर क्यों आया था। यह तर्क दिया गया कि इन दो गवाहों ने, मृतक के साथ अपनी निकटता के बावजूद, न तो उसकी सहायता करने की कोशिश की और न ही उसकी सहायता के लिए आए, और न ही पुलिस स्टेशन को सूचित किया–एक गंभीर और महत्वपूर्ण चूक जो वस्तुनिष्ठ गवाहों के रूप में उनकी विश्वसनीयता को कम करती है।

13. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया गया है वह अविश्वसनीय है और चिकित्सा साक्ष्य के साथ भिन्न होती है।

वास्तव में, इसकी पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा नहीं की जाती है। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह संभव नहीं था ([2021] 3 एस. सी. आर. के लिए।

सुहास) किसी भी मौखिक बयान देने के लिए क्योंकि चोटें मैक्सिला के दाईं ओर और अनिवार्य थीं। यदि ऊपरी जबड़े में चोट लगी हो और

14. यह आगे तर्क दिया गया कि अभियुक्त के कपड़ों की बरामदगी–जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साबित करने की मांग की गई थी, इसके विपरीत थी कानून और संभावना के लिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि पुलिस स्टेशन से कोठाला के बीच की दूरी 15 से 20 कि. मी. है। पुलिस ने कथित तौर पर पांच मिनट के भीतर 15–20 कि. मी. की यात्रा की। यह अभियुक्त के कपड़ों की बरामदगी के संबंध में पंचनामे को संदिग्ध और अस्वीकार किए जाने योग्य बनाता है। इसके अलावा, धारा 27 के तहत आरोपी के कपड़ों की बरामदगी एक खुली जगह से हुई थी और इस पर विचार नहीं किया जा सकता था। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सत्र अदालत ने माना कि वसूली जांच के विपरीत थी और

जब्ती पंचनामा। जब्त और पूछताछ पंचनामों में अलग–अलग कपड़े दिखाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने जाँच पंचनामे में मृतक के कपड़े बदलने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी तरह, मुददेमल वस्तुओं को सील करने के दो महीने से अधिक समय बाद (06.02.2011 पर) परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में देरी की व्याख्या नहीं की गई थी, जिससे छेड़छाड़ की संभावना बढ़ गई थी।

15. यह प्रस्तुत किया गया था कि मृतक के व्यक्ति पर घावों की प्रकृति, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, केवल स्थापित हुई

कि फरार आरोपी को घातक चोटें आई थीं। अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा–कानूनी रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं था; वास्तव में, डॉक्टर पीडब्लू–7 ने कहीं भी अभियोजन पक्ष के सिद्धांत

का समर्थन यह बयान देकर नहीं किया कि अपीलार्थियों के शरीर पर जिस तरह की चोटें लगी थीं। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष फरार अभियुक्तों और वर्तमान अपीलार्थियों को धारा नेटाजी अच्युत शिंदे (पी. ए. टी. आई. एल.) और ए. एन. आर. के तहत अपराध के लिए फंसाने के लिए उनके बीच किसी पूर्व सहमति या मन की बैठक को साबित नहीं कर सका।

34. समान इरादे के किसी भी सबूत के अभाव में, उनकी दोषसिद्धि को बाधित करना पड़ा; दो अभियुक्तों को बरी करने के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। 16. यह प्रस्तुत किया गया था कि आधिकारिक गवाहों और चार स्वतंत्र गवाहों को छोड़कर अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाह संबंधित थे।

मृत्यु की घोषणा को देखते हुए, पुलिस ने 6–7 घंटे के अंतराल का उपयोग एक कहानी को घुमाने और अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया, जैसा कि निचली अदालत द्वारा सही अनुमान लगाया गया था। जब पुलिस को अपराध की जानकारी मिली तो शाम के शुरुआती हिस्से के दौरान पहली सूचना में अपीलार्थियों का नाम नहीं लिया गया था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे इसमें शामिल नहीं थे।

17. अंत में यह आग्रह किया गया कि मोटरसाइकिल की बरामदगी भी साबित नहीं की जा सकी, जैसा कि पीडब्लू–6 और पीडब्लू–11 के विरोधाभासी साक्ष्य के बारीकी से पढ़ने से देखा जाता है। इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शी विवरणों से पता चला कि मोटरसाइकिल फरार आरोपी की थी।

18. राज्य के वकील ने इस अदालत से विवादित फैसले के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अदालत

अभियुक्त की ओर से इस तर्क से बहुत प्रभावित था कि अपराध के बारे में पहली सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट का गठन करती है; इसलिए, इसने पीडब्लू–1 के साक्ष्य को खारिज कर दिया कि उसने 11 बजे अपराध के बारे में पुलिस से शिकायत की थीः 30 प्रधानमंत्री, और, इसके बजाय इसे धारा 161 के तहत एक बयान के रूप में माना। यह आग्रह किया गया कि मोटरसाइकिल की कथित चोरी के संबंध में पीडब्लू–8 का सबूत था सही ढंग से अविश्वास; निचली अदालत को विश्वास था कि अभियुक्तों में से एक समाधान अपराध में भागीदार था, और सामान्य इरादे को साझा करता था। निचली अदालत ने चोटों की प्रकृति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू–7 और पीडब्लू–12 की गवाही को भी विश्वास दिलाया। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अदालत ने अन्य अभियुक्तों, यानी नेताजी शिंदे ए–1 और बालासाहेब (ए–3) को मृत्युदंड की घोषणा पर अविश्वास करते हुए और यह भी मानते हुए बरी कर दिया कि इन अभियुक्तों के कृत्यों का जवाब देने के लिए मृतक पर कोई चोट नहीं थी।

19. राज्य के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत ने पीडब्लू–2, [2021] 3 एस. सी. आर. के नेत्र संबंधी साक्ष्य की अनदेखी करने में पूरी तरह से गलती की। मृतक पर तलवार से हमला करना, और उस मोटरसाइकिल नंबर पर जिस पर फरार आरोपी समाधि (ए–2) के साथ बैठा था। हमले के समय और उसके बाद अन्य अभियुक्तों को उकसाने के साथ–साथ उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को इन लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया गया था गवाह। पीडब्लू–5 उस आभूषण की दुकान का मालिक था जिसमें घायल सुहास खून से लथपथ होकर पहुंचे

थे। सुहास के पतन को देखने के अलावा, इस गवाह ने अपनी दुकान से विभिन्न वस्तुओं की जब्ती के लिए भी गवाही दी। इसी तरह, पीडब्लू–18 रविराज बीयर बार का मालिक था, और उस जगह के पास खड़ा था जहाँ पूरी घटना हुई थी। ये सभी गवाह सुहास पर हमले की प्रकृति और अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में सुसंगत थे।

20. राज्य ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने सबूतों के इन महत्वपूर्ण टुकड़ों की अनदेखी करने में गलती की थी, और संदेह के कारण चला गया था। बल्कि यह सरल निष्कर्ष है कि किसी भी शारीरिक चोट (प्रहार, पिटाई आदि के कारण) की अनुपस्थिति इंगित करती है कि कोई सामान्य इरादा नहीं था, स्पष्ट रूप से गलत था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि

साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से पता चला कि जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था, वे उचित संदेह से परे दोषी थे।

विश्लेषण और निष्कर्ष

21. पहला मुद्दा जिस पर यह अदालत विचार करती है कि क्या अपीलकर्ता सही हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई

घटना के दिन पुलिस ने टेलीफोन पर (शाम 5:45 बजे) एक प्राथमिकी दर्ज की। वकील के अनुसार, हमले की जानकारी थी

22. सुरजित सरकार बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

इस प्रकार हैः

" 37. इसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही मौखिक जानकारी पुलिस के प्रभारी अधिकारी को दी गई हो।

स्टेशन को एक एफ. आई. आर. के रूप में माना जा सकता है, फिर भी कुछ प्रक्रियात्मक

औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है। इनमें शामिल हैं –

लिखित रूप में जानकारी को कम करना और इसे पढ़ने के लिए

सूचना देने वाला और उस पर अपना हस्ताक्षर प्राप्त करना

ट्रांसक्रिप्ट की गई जानकारी।

38. से प्राप्त टेलीफोनिक बातचीत के मामले में

एक अज्ञात व्यक्ति, उस पर पढ़ने का सवाल अनाम सूचना देने वाले को कोई जानकारी नहीं मिलती है और न ही

क्या सूचना में हस्ताक्षर जोड़ा जाता है, जैसे कि

रिकॉर्ड किया गया, उठें। "

रवि हरकर और विश्वजीत थोम्ब्रे ने टेलीफोन पर बताया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और नगर परिषद परिसर के कोने में एक व्यक्ति पर हमला किया। यह सूचना अपने आप में अधूरी है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक बाद की प्रविष्टियाँ संख्या 42 आई. डी. 1 बजे (ग्रामीण सिविल अस्पताल कल्लम से एम. एल. सी. की रिकॉर्डिंग रसीद को संलग्न करते हुए) हैं कि एक सुहास गंभीर रूप से घायल हो गया था और आगे के इलाज के लिए अंबाजोगाई में स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच एच. सी. को सौंपी गई बंसोडे। अगली प्रविष्टि कोठाला में बंदोबस्त की व्यवस्था करने की बात करती है। प्रविष्टि 50 में पीएसआई कार्ले के हड़ताली बल के प्रस्थान को दर्ज किया गया जो कोठाला के लिए रवाना हुआ। अंतिम प्रासंगिक प्रविष्टि 23.45 घंटे पर है, जो वह शिकायत है जो अंततः पीडब्लू–1 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में परिवर्तित हो गई। यह अभियुक्त और घटना के विवरण को सूचीबद्ध करता है।

24. अतः अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों–रवि हरकर और विश्वजीत थोम्ब्रे द्वारा दी गई सूचना मात्र एक हमले के नंगे तथ्यों को निर्धारित करें; जानकारी अधूरी थी; न तो पीड़ित का नाम और न ही कथित हमलावरों के नाम और न ही उस सटीक स्थान पर जहां घटना हुई थी।

उल्लेख किया है। इस न्यायालय (पूर्व में निर्दिष्ट) के निर्णयों द्वारा इंगित परीक्षणों को लागू करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष अपील में सही निष्कर्ष निकाला है कि पहली जानकारी दर्ज की गई है। 7 (2013) 2 एससीसी146 [2021] 3 एस. सी. आर.

17.45 बजे को एफ़. आई. आर. के रूप में नहीं माना जा सका। इन परिस्थितियों में, घटना का विवरण, हमले की प्रकृति, हमले का स्थान, अभियुक्तों के नाम और पहचान पूरी तरह से निर्धारित की गई थी जब पीडब्लू–1 ने 23.45 बजे बयान दर्ज किया जो कि प्राथमिकी का गठन करता है।

25. इस अदालत की यह भी राय है कि इन दलीलों में कोई दम नहीं है कि पुलिस ने प्रारंभिक संस्करण में सुधार करने की कोशिश की और

किसी तरह आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया। इस संबंध में, पूर्व में प्रविष्टि 39 पर निर्भरता रखी गई है। 85 जो दो हमलों की बात करता है (प्रारंभिक टेलीफोनिक सूचना में) निराधार है। अक्सर, इस बात पर निर्भर करते हुए कि लोग किसी घटना के बारे में कैसे और क्या देखते हैं और क्या समझते हैं, जब वे बाद में इसका वर्णन करते हैं, तो प्रस्तुति अनुक्रम या यहां तक कि तथ्यों का पूरी तरह से वर्णन करने में सटीक नहीं हो सकती है। बहुत कुछ रिश्तेदार पर निर्भर करेगा

घटना या घटना के सापेक्ष दूरी और वे कोण जहाँ उन व्यक्तियों को रखा गया या स्थित किया गया हो सकता है। इसलिए, दो से अधिक अभियुक्तों को शामिल करना या छोड़ देना गंभीर संदेह का विषय नहीं हो सकता है। यह दिए गए मामले में एक पहलू हो सकता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए जब गलत निहितार्थ की ओर इशारा करने वाली अन्य परिस्थितियाँ मौजूद हो सकती हैं। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि चार हमलावरों का उल्लेख करने में चूक अभियोजन पक्ष की कहानी को गलत साबित करती है।

26. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया था कि चिकित्सा साक्ष्य हमले में उनकी भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान के अनुरूप नहीं था

सुहास पर। ट्रायल कोर्ट को विश्वास हो गया कि किसी भी चोट की अनुपस्थिति जो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि करती है कि आरोपी ने सुहास को पीटा था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था कि वे शामिल नहीं थे। पीडब्लू–7 का साक्ष्य, अर्थात वह डॉक्टर जिसने सुहास की जाँच की थी

हमले के तुरंत बाद निम्नलिखित चोटों का संकेत मिलाः

1. " कट बायीं तरफ के सिर के ऊपर आंतरिक रूप से अनिवार्य की ओर बढ़ेगा। वहाँ खून बह रहा था। चूंकि यह 20x4 सी 2 सेमी था। स्पिंडल के आकार वाले, ऊर्ध्वाधर, किनारों को साफ काटा और एवरटेड किया गया था

बाहर निकलें।

2. बाएं हाथ के पीछे के हिस्से पर घाव को चिकित्सकीय रूप से काटें खून बह रहा है। चूंकि 10 से. मी. x 4 से. मी. 2 से. मी. स्पिंडल आकार, ऊर्ध्वाधर, किनारों को साफ काटें, ऊपर की ओर।

3. दाहिने बल वाले हाथ के पूर्वकाल, 4 x 2 x 1/2 सेमी पर घाव काटें। खून बह रहा था, किनारे नियमित थे, नुकीले, स्पिंडल

आकृति।

सभी चोटें छह घंटे के भीतर लगी थीं। चोटों का कारण तेज काटने वाले किनारे के साथ कठोर वस्तु थी। तीनों चोटें

वे स्वभाव से कठोर थे।

27. पीडब्लू–12, जो पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर थे

देखा कि चार चोटें थीं। पीडब्लू–12 के निक्षेपण का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

" मुझे शरीर पर बाहरी चोटें पाई गईं।

1. स्टैब घाव मैक्सिला के दाहिने तरफ मौजूद होता है और हड्डी की गहराई तक, लंबाई में 30 सेमी x 3 सेमी तक होता है। दिशा में तिरछा

2. बाएँ पीछे के पहलू पर मौजूद स्टेब घाव 25 सेमी x 14 लंबाई में सेमी। ऊर्ध्वाधर दिशा में, हड्डी और मांसपेशियों के किनारों को उजागर करने की दिशा में अनियमित, लाल रंग का रक्त

स्थल पर।

3. स्टेब दाहिने अग्र–भुजा के पूर्ववर्ती पहलू पर प्रस्तुत करेगा, 8 सेमी x 3 सेमी लंबाई क्षैतिज दिशा में कलाई से 4 सेमी ऊपर

जोड़, कोण समकोण, किनारे उल्टे। लाल रंग का

स्थल पर रक्त की उपस्थिति।

4. 9 से. मी. x 0.3 से. मी. आकार की पीठ के बाईं ओर मौजूद घर्षण

ऊर्ध्वाधर दिशा में 19 से. मी. ऊपर से पी. एस. आई. एस. लाल रंग में।

सभी चोटें एंटीमॉर्टम प्रकृति की थीं।

28. अभियोजन पक्ष के अनुसार अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू–2, पीडब्लू–3, पीडब्लू–4, पीडब्लू–6 और पीडब्लू–18 चश्मदीद गवाह थे। द.

ऐसा प्रतीत होता है कि पी. डब्ल्यू.–2 (पी. डब्ल्यू.–1 से निकटता से संबंधित) और पी. डब्ल्यू.–4 के बयान पर विचारण न्यायालय द्वारा कुछ हद तक संदेह किया गया है। हालाँकि, अभिलेख के पूरे पढ़ने से–जिसमें निचली अदालत का फैसला भी शामिल है–जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीडब्लू–6, पीडब्लू–2 और पीडब्लू–18 ने वास्तव में पूरी घटना देखी थी। पीडब्लू–18, रवींद्र ओझा, जो रविराज बीयर बार का मालिक था और फरार आरोपी द्वारा तलवार से किए गए हमले के बारे में स्पष्ट था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सुहास पर मुट्ठी से हमला किया था। पीडब्लू–6, सतीश शाहजी टेकले एक चाय की दुकान के सामने खड़े थे जब सुहास शिवाजी चौक से भागते हुए अंदर आए। वह खून से लथपथ था और अपीलकर्ताओं और अनंत शिंदे ने उसका पीछा किया, जो जोर से चिल्ला रहे थे कि सुहास को पकड़कर मार दिया जाना चाहिए। पीडब्लू–6 ने दावा किया कि उन्होंने और एक प्रदीप मेटे ने हस्तक्षेप किया और इस बीच सुहास [2021] 3 एस. सी. आर.

"कोठावले ज्वेलर्स" में प्रवेश किया, जिसके बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल पर चले गए। पीडब्लू–6 के निक्षेपण की पुष्टि पीडब्लू द्वारा की गई थी।

18 ; उत्तरार्द्ध ने मोटरसाइकिल का नंबर (No.MH–25/W–1744) भी दर्ज किया जिसके द्वारा आरोपी हमले के बाद गया था। 29. पीडब्लू–5 दुकान "कोठावले ज्वैलर्स" का मालिक था और हालांकि वह प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, लेकिन तुरंत घटना का गवाह बना।

घटना से जुड़ा हुआ। उसने बयान दिया कि सुहास दुकान में प्रवेश कर रहा है और उसे बचाने के लिए कह रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुहास को गंभीर रूप से खून बह रहा था और कुछ लोगों ने उनकी दुकान को घेर लिया था और एक तलवार से लैस था। उसने अपदस्थ किया कि फरार अभियुक्त ने उसे (सुहास) तलवार से भी मारा था और आगे कहा कि उनके द्वारा उसका पीछा किया गया था। पीडब्लू–5 ने यह भी कहा कि सतीश टेकले और प्रदीप मेटे सुहास को अस्पताल ले गए।

30. इन चश्मदीद गवाहों की प्रतिपरीक्षा में, कुछ भी नहीं

अभियुक्त की ओर से महत्वपूर्ण बात सामने आई। पूछताछ का सामान्य तरीका यह प्रतीत होता है कि मृतक की पहचान की जानकारी होने के बावजूद चश्मदीद गवाह ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। इस न्यायालय की राय में, यदि अभियुक्त के विवरण के संबंध में कोई मामूली विसंगतियां पाई जाती हैं, तो वे असंगत हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि साक्ष्य का समग्र भार स्पष्ट रूप से मृतक सुहास पर

हमला करने वालों के रूप में अभियुक्त की भूमिका की ओर इशारा करता है। वर्तमान अभियुक्त को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी क्योंकि एम. एल. सी. और पोस्टमॉर्टम में मुट्ठी में प्रहार या लात के कारण किसी भी संबंधित घाव का पता नहीं चला। हालाँकि, यह अपीलार्थियों के पक्ष में मुद्दे को समाप्त नहीं करता है। सभी चश्मदीद गवाहों की लगातार गवाही स्पष्ट थी कि वर्तमान अपीलकर्ता हमले का हिस्सा थे; उन्होंने सुहास पर हमला करने और उसका पीछा करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसने अंततः उसे पीडब्लू–5 की दुकान में घुसने और वहां गिरने के लिए मजबूर कर दिया। घटनास्थल से बरामद सामग्री के साथ–साथ पीडब्लू–5 की दुकान, जिसमें खून के धब्बे शामिल थे, इन चश्मदीद गवाहों की कहानी का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि मृतक के व्यक्ति पर किसी भी प्रत्यक्ष चोट की अनुपस्थिति किसी भी तरह से वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका को कम नहीं करती है। अभियोजन पक्ष ने फरार अभियुक्तों के साथ उनकी ओर से एक समान इरादे का आरोप लगाया था। पीडब्लू–13 के अनुसार, आरोपी समाधान शिंदे ने अपनी उपस्थिति में पुलिस को एक बयान दिया और खुलासा किया कि उसने परमेश्वर पाटिल से मोटरसाइकिल ली थी और उसके बाद वे सोनसंगवी फाटा गए और बजाज मेक डिस्कवर मोटरसाइकिल No.MH–25/डब्ल्यू–1744, एताजी अच्युत शिंदे (पीएटीआईएल) और एएनआर बरामद किए।

" 12 ..... आपराधिक कार्रवाई में विभिन्न परिसंघों द्वारा किए गए कार्य अलग–अलग हो सकते हैं लेकिन सभी को एक तरह से या

दूसरा आपराधिक उद्यम में भाग लेता है और संलग्न होता है, उदाहरण के लिए, कोई केवल किसी भी व्यक्ति को पीड़ित की राहत के लिए आने से रोकने के लिए पहरा दे सकता है, या अन्यथा सामान्य योजना के निष्पादन की सुविधा प्रदान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी

एक "कार्य" करता है जितना कि उसके सह–प्रतिभागी वास्तव में नियोजित अपराध करते हैं। शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराध के मामले में, हालांकि, यह आवश्यक है

धारा 34 का अनुप्रयोग कि जो व्यक्ति अपराध को उकसाता है या अपराध करने में सहायता करता है, उसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपराध के वास्तविक कार्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिएः

अपराध को सुविधाजनक बनाना या बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य संयुक्त आपराधिक उद्यम का उद्देश्य है। उन लोगों की ऐसी उपस्थिति जो किसी न किसी तरह से सामान्य योजना के निष्पादन में सहायता करते हैं, अपने आप में 'आपराधिक कार्य' में वास्तविक भागीदारी के समान है। धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति है। इस तरह की सहमति हो सकती है

मौके पर विकसित किया जाए और इस प्रकार सभी द्वारा इरादा किया जाए

उन्हें "।

32. नंदू रस्तोगी बनाम। बिहार राज्य, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आम इरादे के बारे में कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, इस अदालत ने कहा किः

" 17 ..... वे एक साथ आए, और जब उनमें से दो पहरेदार खड़े थे और अभियोजन पक्ष के गवाहों को हस्तक्षेप करने से रोक रहे थे,

उनमें से तीन मृतक को अंदर ले गए और उनमें से एक ने उसे गोली मार दी। इसके बाद वे एक साथ भाग गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक

अभियुक्त को मृतक पर हमला करना चाहिए। यह पर्याप्त है यदि यह दिखाया जाए कि अपराध करने का उनका एक समान इरादा था और इसे आगे बढ़ाने में प्रत्येक ने अपनी निर्धारित भूमिका निभाई।

अलग–अलग कार्य करके, समान या विविध।

33. हाल ही में, सुबेद अली और अन्य बनाम। असम राज्य 1 0 10 इस अदालत ने फैसला सुनाया कि

" आम इरादे में कई व्यक्ति शामिल होते हैं जो कार्य करते हैं

एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होना, हालाँकि उनकी भूमिकाएँ अलग हो सकती हैं। भूमिका सक्रिय हो सकती है या निष्क्रिय अप्रासंगिक हो सकती है, एक बार सामान्य इरादा स्थापित हो जाने के बाद। शायद ही हो सकता है

सामान्य इरादे का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रतिभागियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के संचयी मूल्यांकन के आधार पर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना अधिक महत्वपूर्ण है। समान इरादे के आधार पर दोषसिद्धि की नींव प्रत्यावर्ती जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरों के कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है जिनके साथ वह समान इरादे रखता था। मानसिक उपस्थिति

तत्व या कार्य करने का इरादा यदि स्पष्ट रूप से स्थापित बिना वास्तविक के, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है

हमले में भागीदारी। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि

इससे पहले कि किसी व्यक्ति को सामान्य आधार पर दोषी ठहराया जाए

इरादा, वह शारीरिक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए

हमला "।

34. यहाँ, अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति (अपीलार्थी संख्या सहित। 1 और 3) अपराध के वास्तविक आयोग के स्थल पर और

स्वतंत्र गवाहों की उनकी भूमिका के बारे में गवाही, स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि यह अपराध को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से था, जिसका उद्देश्य संयुक्त आपराधिक उद्यम का उद्देश्य था। इन अभियुक्तों की उपस्थिति, सामान्य योजना के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए आपराधिक कार्य में वास्तविक भागीदारी के बराबर है। सबूत – अर्थात। इन अभियुक्तों द्वारा प्रोत्साहन, मृतक पर हमला करने, उसका पीछा करने और अपराध स्थल को एक साथ छोड़ने में उनकी सक्रिय भूमिका, यह दर्शाती है कि एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन में आम सहमति थी। यह वह पहलू था जिसे निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया, और इसके बजाय, ध्यान केंद्रित करने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया

35. यह न्यायालय अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या उच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः सराहना करने और निचली अदालत की तुलना में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने और वर्तमान अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में गलती करता है। बहुत पहले, में संवत सिंह बनाम। राजस्थान राज्य "यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से निपटता है, उन मामलों में जहां भारत में निचली अदालतें बरी होने का रिकॉर्ड करती हैं। अदालत ने अनुमोदन के साथ प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला दियाः

" 7. बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत की शक्तियों का दायरा प्रिवी काउंसिल द्वारा स्पष्ट किया गया है। शीओ स्वरूप बनाम। राजा–सम्राट [LR 61 IA 398]। वहाँ भगवान

रसेल ने पी में देखा। 404 इस प्रकारः

" ..... उच्च न्यायालय को हमेशा उचित देना चाहिए और देगा

(1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार, (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, एक ऐसी धारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती है कि वह

एक न्यायाधीश द्वारा जिसे देखने का लाभ था गवाह '।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रिवी काउंसिल आगे बढ़ी

कहने के लिए,

" ..... उनके पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय तथ्य के अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में सभी उचित मामलों को ध्यान में रखने में विफल रहा।

ये दोनों परिच्छेद उन सिद्धांतों को इंगित करते हैं जिनका एक अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निपटारा करने में पालन किया जाना चाहिए और साथ ही साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने अपनी पिछली टिप्पणियों को समझाया

152 :

" उनके अधिपति इसे फिर से पढ़ना आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन यह देखना चाहेंगे कि वास्तव में केवल

एक सिद्धांत, शब्द के सख्त उपयोग में, वहाँ निर्धारित किया गया है; वह यह है कि उच्च न्यायालय को उन सभी साक्ष्यों की व्यापक रूप से समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर बरी करने का आदेश दिया गया था।

स्थापित किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उस पर

सबूत के आधार पर बरी करने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए।

ये दो निर्णय यह स्थापित करते हैं कि एक अपीलीय की शक्ति

बरी किए जाने के खिलाफ अपील में अदालत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में की गई अपील से अलग नहीं है; अंतर शक्ति की सामग्री के बजाय दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के तरीके में अधिक निहित है।

36. बलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1 2 इस न्यायालय ने पी में इस प्रकार बहुत समान प्रभाव देखा। 222 :

" अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है, लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति के निर्दोष होने की धारणा को निचली अदालत द्वारा उसके बरी होने से और मजबूत किया जाता है और गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में निचली अदालत के न्यायाधीश के विचारों को उचित महत्व और विचार दिया जाना चाहिए।

गवाहों को देखने के लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके पर्याप्त और सम्मोहक कारण होने चाहिए।

अपील न्यायालय के लिए एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए

विचारण न्यायाधीशक।

ये टिप्पणियां केवल इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराती हैं। इस न्यायालय के अन्य निर्णय भी हैं, जिनमें बिना चर्चा के इस न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों की पुष्टि की, जहां उन्होंने प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया।

37. पुनः, बाबू वी. में। केरल राज्य की इस अदालत ने कहा कि "अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए गए हैं" या यदि वे "साक्ष्य के भार के खिलाफ हैं" या यदि वे "तर्कहीनता के दोष" से पीड़ित हैं।

38. इस न्यायालय की, विवादित निर्णय में तर्क पर विचार करने के बाद, यह राय है कि उच्च न्यायालय इस मामले में काफी सही था।

उन दो अपीलार्थियों को बरी करने के फैसले को उलटना जो अब इस अदालत के समक्ष हैं। चश्मदीद गवाहों की गवाही, जिन्होंने उन्हें स्पष्ट रूप से अपराध में फंसाया, उनकी भागीदारी को स्थापित किया, और बयान जो दर्शाते थे कि उन्होंने मृतक, सुहास पर जानलेवा हमले को अंजाम देने के सामान्य इरादे को प्राप्त करने में एक भूमिका निभाई, निचली अदालत द्वारा तुच्छ और महत्वहीन कारणों से अनदेखी की गई। साक्ष्य की सराहना और अभिलेख से दिखाई देने वाली सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से थीं

अनुचित और तर्कहीन। उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को बिल्कुल सही तरीके से उलट दिया और सभी अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की।

39. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपीलों में कोई योग्यता नहीं है; उन्हें लागत पर आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।